न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार बलाई (आर. ए. एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
116/2022	07.06.2022	29.01.2025

// उनवान //

1. सुमेर सिंह पुत्र सोहन जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर

-- वादीगण

बनाम

1. उदयभान पुत्र शंकर
2. कृष्णा पुत्री छीतर
3. नरेश कुमार पुत्र सोहन लाल
4. फत्तो पुत्री शंकर
5. बबली पुत्री छीतर
6. रामकिशन पुत्र शंकर
7. रामसिंह पुत्र सोहन लाल
8. रामावतार पुत्र सोहन लाल
9. रामावतार पुत्र शंकर
10. वीरसिंह पुत्र शंकर
11. सुनीता पुत्री छीतर
12. हरिसिंह पुत्र लीला
13. फूसाराम पुत्र श्री राम
14. मंगल राम पुत्र श्री राम
15. महेन्द्र पुत्र उमराव
16. महेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह
17. माडिया पुत्र छोटेलाल
18. रामचन्द्र पुत्र तुलसा
19. श्रीचन्द पुत्र तुलसा
20. सिहंराम पुत्र श्रीराम
21. सहेन्द्र उर्फ रघुनन्दन पुत्र श्रीराम जाति अहीर निवासियान सानोली तहसील मुण्डावर
22. श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर
23. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर बतौर भूमिधारी अधिकारी।
24. श्रीमान शाखा प्रबन्धक यूनाईटेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नीमराना
25. श्रीमान शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक शाखा शाहजहांपुर

सही

उपखण्ड अधिकारी

मुण्ड़ावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

26. श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड

——प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्म ईम्तनाई दवामी

—: निर्णय :—

यह आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सूक्ष्म वृतान्त प्रकरण इस प्रकार है कि यह प्रकरण इस न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.79 व 11 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सानोली का बाबत तकासमा मय हुक्म ईम्तनाई दवामी विचाराधीन है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिश तलब किया गया। समस्त प्रतिवादीगण की विधिवत तलबी होने उपरान्त प्रतिवादी सं0 01ल0 22 एवं 24 ल0 26 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बाद सुनवाई प्रकरण दिनांक 12.06.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया व तहसीलदार मुण्डावर से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। इसी दौरान प्रतिवादी सं0 03 व 08 के प्रार्थना पत्र पर उनके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को खोला गया। तदोपरान्त तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पत्र कमांक भू0अ0 /2024/ 10276 दिनांक 22.11.24 के जर्ये कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनवाई किये जाने पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं0 3 व 8 ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान कर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये हैं।

अतः वाद वादी बाबत आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.79 व 11 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सानोली मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है— कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 प्रदर्श — अ एवं नजरी नक्शा प्रदर्श—ब इस निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श—अ एवं प्रदर्श—ब के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 29.11.2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल — तिजारा

Scanned with OKEN Scanner

52. श्रीमान शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड

---प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हुक्म ईम्तनाई दवामी

:– पर्चा डिक्री :–

वाद वादी बाबत आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 0.79 व 11 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम सानोली मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है– कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 14.11.2024 प्रदर्श – अ एवं नजरी नक्शा प्रदर्श–ब इस निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त प्रदर्श–अ एवं प्रदर्श–ब के अनुसार ही हाल भू0 अभिलेख में सम्बन्धित पक्षकारान को खातेदार अंकित किया जाने एवं अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

आज दिनांक 29.11.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) सत्यमेव जयते

सु0
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर जिला खैरथल – तिजारा

14-02-2025 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी सुमेरसिंह का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 CPC स्वीकार किया जाता है। पर्चा डिक्री के अंतिम पैरा में दिनांक 29-11-2024 के स्थान पर 29-01-2025 पढा जावे। प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली रहे। सुनाया गया।

सु0
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

29-01-2025 पत्रावली पेश हुई।

वकुलाम उपस्थित हैं। आज इस प्रकरण से संबंधित मूल वाद को कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर सहमति से डिग्री किया गया है। अत: इस पत्रावली में आगे सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली आगामी सुनवाई इसी स्तर पर बंद की जाकर पत्रावली Drop की जाती है। फैसलानुसार होईट नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे। सुनाया गया।

सही